

13

अध्याय



कल्याण उपाय

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

कल्याण उपाय

कोयला खनन का परम्परागत जीवनशैली एवं क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने इस विश्वास को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया है कि खनन क्षेत्रों में रह रहे लोग खान विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं।

- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अधिदेश के भाग के रूप में सीआईएल तथा इसकी सहायक कम्पनियों कोल्फील्ड क्षेत्रों तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों को कर रही हैं।
- स्वच्छ पेय जल, स्कूल भवनों, चेक बांधों, ग्रामीण सड़कों, सम्पर्क सड़कों और पुलियों, औषधालयों और अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन।
- स्वास्थ्य शिविरों, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविरों, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों, टीकाकरण शिविरों, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन, सामाजिक वन्धीकरण आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप।

विकलांगता अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

1996-97 से समूह 'ग' तथा 'घ' में नियुक्त विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों प्रतिनिधित्व नीचे दिए अनुसार है:

| वर्ष | नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या | आरक्षण कोटा के अधीन भरे गए पदों की संख्या | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-------|------|
| | | वी एच | एच एच | ओ एच |
| 1996-97 से 01.01.2016 | 9572 | 46 | 8 | 66 |

वीएच = दृष्टि अपंगता एचएच = श्रवण अपंगता ओएच = शारीरिक अपंगता

1.1.2016 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण:

(अनंतिम)

| कंपनी | कर्मचारियों की संख्या | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| ईसीएल | 66917 | 07 | 16 | 036 |
| बीसीसीएल | 54250 | 42 | 18 | 075 |
| सीसीएल | 44274 | 26 | 10 | 041 |
| डब्ल्यूसीएल | 49371 | 14 | 12 | 055 |
| एसईसीएल | 65556 | 25 | 8 | 126 |
| एमसीएल | 22541 | 21 | 10 | 082 |
| एनसीएल | 16236 | 10 | 02 | 041 |
| एनईसी | 1913 | 00 | 00 | 001 |
| सीएमपीडीआईएल | 3665 | 02 | 01 | 016 |
| डीसीसी | 444 | 00 | 00 | 000 |
| सीआईएल (मुख्यालय) | 865 | 01 | 00 | 001 |
| कुल सीआईएल | 326032 | 148 | 77 | 474 |

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

कंपनी अखिल भारतीय आधार पर चयन तथा देश में कैम्पस चयन के माध्यम से विभिन्न राज्यों के लोगों की भर्ती करके कर्मचारियों की विभिन्नता में समरूपता कायम करने का प्रयास करती है। इस प्रकार, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों को आरक्षण प्रदान करती है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

| समूह क तथा ख पदों के लिए | सीधी भर्ती | | | पदोन्नति | | |
|--|------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| | अनु.जाति | अनु. जनजाति | अ.पि.वर्ग | समूह क,ख,ग तथा घ के लिए | अनु. जाति | अनु. जनजाति |
| अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता टेस्ट (लिखित) द्वारा | 15% | 7.5% | 27% | अखिल भारत | 15% | 7.5% |
| अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता टेस्ट (लिखित) के अन्यथा | 16.66% | 7.5% | शेष 50% तक सीमित | | | |

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग तथा घ की भर्ती के लिए आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं जहां राज्यवार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है।

सहायक कंपनी-वार / कंपनी-वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

| राज्य | कंपनी | अनु. जाति का % | अनु. जनजाति का % | अन्य पिछड़े वर्गों का % |
|-------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|
| झारखंड | बीसीसीएल | 12 | 26 | 12 |
| प.बंगाल | ईसीएल | 23 | 05 | 22 |
| ओडिशा | एमसीएल | 16 | 22 | 12 |
| मध्य प्रदेश | एनसीएल | 15 | 20 | 15 |
| छत्तीसगढ़ | एसईसीएल | 14 | 23 | 13 |
| महाराष्ट्र | डब्ल्यूसीएल | 10 | 09 | 27 |
| असम | एनईसी | 07 | 12 | 27 |

1.1.2016 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह-वार जनशक्ति के साथ-साथ अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

| समूह | कुल संख्या | अनु. जाति का % | अनु. जनजाति का % | अन्य पिछड़े वर्गों का % |
|-------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------|
| क | 15249 | 9.99 | 4.06 | 17.18 |
| ख | 21350 | 10.97 | 6.65 | 20.47 |
| ग | 186758 | 21.49 | 12.20 | 23.72 |
| घ (सफाईवालों को छोड़कर) | 99655 | 23.66 | 16.04 | 22.08 |
| घ (सफाईवाला) | 3020 | 98.88 | 0.94 | 0.15 |
| कुल | 326032 | 21.58 | 12.52 | 22.45 |